न्यायालय– विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट–1985, राजगढ़ जिला राजगढ़ म0प्र0

जमानत प्रकरण क्रमांक 387/2026
पुलिस थाना माचलपुर के अप.क. 35/2026

नाम पक्षकार–

1. दीपक पुत्र श्यामलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नरवाल, थाना आगर जिला आगर मालवा मध्यप्रदेश
2. जितेंद्र सिंह पुत्र कमल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोंदलमउ, नलखेड़ा, जिला आगर मालवा मध्यप्रदेश

..... आवेदक/अभियुक्तगण

।। विरूद्ध ।।

म0प्र0राज्य द्वारा
थाना माचलपुर, जिला राजगढ

..... अनावेदक/राज्य

अंतर्गत धारा–483 बी.एन.एस.एस, 2023

// आदेश दिनांक 30.06.2026 की सत्यापित प्रतिलिपि //

————————————000————————————

आवेदक/अभियुक्त **दीपक पिता श्यामलाल एवं जितेंद्र,** की ओर से श्री प्रशांत वैस अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री आलोक श्रीवास्तव जिला अभियोजन अधिकारी उपस्थित।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **एम.सी.आर.सी. कमांक 8227/2023 दीपक यादव विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य** में पारित आदेश दिनांक 01.04.2023 के दिशा–निर्देश अनुसार आवेदक/आरोपी का विवरण निम्नानुसार है–

आवेदक/आरोपीगण का नाम	दीपक पिता श्यामलाल एवं जितेंद्र
आरक्षी केंद्र का नाम	माचलपुर जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश
प्रथम सूचना प्रतिवेदन कमांक	35/2026
प्रथम सूचना प्रतिवेदन दिनांक	08.02.2026
अपराध अंतर्गत धारा	स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधि. की धारा 30, इजाफा धारा 8/22, 27ए
अभियुक्तगण की गिरफ्तारी का दिनांक	20.02.2026
अभियोगपत्र प्रस्तुति दिनांक	अनुसंधान गतिशील

उभयपक्ष की ओर से तर्क श्रवण किए गए।

आवेदकगण की ओर से यह द्वितीय प्रतिभूति आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया

है, प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 08.06.2026 को वापस लेने के आधार पर निरस्त किया गया था।

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 बीएनएसएस में बताया गया है कि आवेदकगण के विरूद्ध पुलिस थाना माचलपुर में 35/2026 का अपराध पंजीबद्ध किया है। आवेदक का यह द्वितीय नियमित प्रतिभूति आवेदन पत्र है, प्रथम प्रतिभूति आवेदन पत्र नोटप्रेस किया गया है। आवेदकगण का अपराध से कोई संबंध नहीं है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण निर्दोष हैं। आवेदकगण के विरूद्ध थाना माचलपुर में अपराध दर्ज किया गया है, तब सभी आवेदकगण एफआईआर संख्या 31/2026 में पुलिस थाना झालरापाटन में न्यायिक अभिरक्षा में झालावाड़ जेल में बंद थे। आवेदकगण से किसी भी पदार्थ की मादक वस्तु या नियंत्रण में आने वाली किसी भी प्रकार की कोई औषधि जप्त नहीं हुई है। मात्र संदेह के आधार पर आवेदकगण को उक्त प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में भी किसी भी प्रकार का अपराध अधिरोपित नहीं है।

आवेदन में यह भी व्यक्त किया गया है कि मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के प्रावधान इस प्रकरण में कठोर अवश्य है, किंतु उपलब्ध तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध सिद्ध नहीं होता तथा अभियुक्तगण के पुनः अपराध करने की कोई संभावना नहीं है। प्रकरण में जप्त केमिकल को सीधे मादक पदार्थ नहीं माना जा सकता है, बल्कि यह एक केमिकल है, जिसके दुरूपयोग की सम्भावना मात्र के आधार पर अभियुक्तगण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अभियुक्तगण करीब 03 माह से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदकगण जिला आगर मालवा के स्थाई निवासी है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की पूरी संभावना है। अतः आवेदकगण का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार कर उसे जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया है।

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से संजय पिता कमलसिंह का शपथपत्र प्रस्तुत कर यह बताया गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से द्वितीय जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है अन्य कोई जमानत आवेदन न तो सत्र न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है और न ही निरस्त हुआ है। **साथ ही अभियुक्तगण का पूर्व आपराधिक इतिहास निम्नानुसार बताया गया है–**

क्र.	अपराध कमांक	धारा	थाना	जिला	स्थिति लंबित/ दोषसिद्ध/ दोषमुक्त
1.	31/2026	30 एनडीपीएस एक्ट	झालरापाटन	झालावाड़	लंबित

राज्य की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का मौखिक विरोध करते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

अभियोजन कथा का सार यह है कि दिनांक 07.02.2026 को प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर आदमपुरा के जंगल में खेत में बनी खंती में से पांच नीले रंग के ड्रम पड़े मिले, जिनको खोलकर देखने पर उनमें प्लास्टिक की पन्नी के अंदर सफेद रंग का केमिकल पाउडर होना पाया गया। उक्त पदार्थ का मय ड्रमों के वजन करने पर कुल 266.9 किलोग्राम वजन पाया गया। उक्त पदार्थ 2–ब्रोमो4–मिथाइल प्रोपेनाइन के रूप में पहचाना गया। उक्त पदार्थ को मादक पदार्थ एम.डी. ड्रग के बनाने में इस्तेमाल होना बताया गया है। सी.सी.टी.व्ही. कैमरों की मदद से अभियुक्त ललित गुर्जर को गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ में उसने उक्त ड्रग सहअभियुक्त दिनेश व रामेश्वर गुर्जर के साथ मिलकर अभियुक्त दीपक गुर्जर के कहने से फेंकना बताया।

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक दीपक पिता स्व. श्यामलाल व्यास के विरूद्ध अभियोजन का प्रकरण यह है कि वह कीटनाशकों का व्यापार करता है एवं उसने अपने मामा सहअभियुक्त जयनारायण के कहने पर एमडी ड्रग्स बनाने के लिए एक केमीकल 2–ब्रोमो–मिथाइलप्रोपियोफिनोन के 6 ड्रम को आवेदक जितेंद्र से मंगवाया। थाना माचलपुर जिला राजगढ़ द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर 5 ड्रम जंगल में बनी खंती से जप्त किए गए हैं। अग्रिम विवेचना के दौरान सहअभियुक्त दीपक गुर्जर से 10 किलो से अधिक एम.डी. ड्रग पकड़ी गई है, जबकि अन्य सहअभियुक्तगण रघुनंदन से 11 किलो से अधिक एम.डी. ड्रग पकड़ी गई है। केस डायरी के साथ संलग्न बिलों के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक जितेंद्र सिंह द्वारा 2–ब्रोमो– मिथाइलप्रोपियोफिनोन खरीदा गया है। अभियोजन के अनुसार इस प्रकार प्रथमदृष्टया दोनों आवेदकगण द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण द्वारा एम.डी. ड्रग बनाने हेतु उक्त पदार्थ का क्रय–विक्रय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है।

स्वापक औषधियां एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 37 के अनुसार वाणिज्यिक मात्रा के अपराधों के अभियुक्त को प्रतिभूति/बंधपत्र पर तभी निर्मुक्त किया जावेगा, जब लोक अभियोजक द्वारा आवेदन का विरोध करने पर न्यायालय का यह समाधान हो गया हो कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है एवं जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है।

वर्तमान मामले में लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा आवेदन का घोर विरोध करते हुए बताया गया है कि मामले में प्रतिबंधित एम.डी. ड्रग तथा उसे बनाने में काम आने वाले 2–ब्रोमो–मिथाइलप्रोपियोफिनोन को व्यावसायिक मात्रा में अन्य सहअभियुक्तगण से जप्त किया गया है तथा प्रकरण वर्तमान में अनुसंधान के स्तर

पर लंबित होने से आवेदकगण की मामले में और क्या–क्या भूमिका है, उसकी जांच की जाना शेष है। इस न्यायालय का वर्तमान में यह समाधान नहीं हो सका है कि आवेदकगण अपराध के दोषी नहीं हैं एवं उनके द्वारा भविष्य में अपराध किए जाने की संभावना नहीं है। वर्तमान में मामला अनुसंधान के स्तर पर है, जिससे मामले में आवेदकगण की भूमिका के संबंध में कोई स्पष्ट अभिमत नहीं दिया जा सकता है।

अतः आवेदकगण की मामले में संलिप्तता व उसकी सीमा के संबंध में कोई अभिमत व्यक्त न करते हुए स्वापक औषधियां एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 37 के निर्बंधों, अपराध की प्रकृति, उसका समाज पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव, अभियोजन के अनुसार प्रथम दृष्टया आवेदकगण की भूमिका, मामले के वर्तमान प्रक्रम व प्रतिभूति का लाभ प्राप्त होने की स्थिति में आरोपीगण द्वारा साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना आदि को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण को इस स्तर पर नियमित प्रतिभूति का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण **दीपक पिता श्यामलाल तथा जितेंद्र सिंह** की ओर से प्रस्तुत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का **द्वितीय** नियमित जमानत आवेदन पत्र **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ केस डायरी वापस की जावे।

आदेश की एक प्रति अभियुक्तगण को निःशुल्क प्रदान की जावे।

प्रकरण पूर्ववत दिनांक 08.07.2026 को पेश हो।

LAKHAN LAL GOSWAMI
Digitally signed by LAKHAN LAL GOSWAMI
Date: 2026.06.30 17:41:49 +0530

(डॉ. लखनलाल गोस्वामी)
विशेष न्यायाधीश
एनडीपीएस एक्ट–1985
राजगढ़ जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश